परिपत्र संख्या-14-/सामा-1(2)/2021

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 06/26 जुलाई, 2021

विषयः- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध कैंसर ग्रस्त रोगी पुरूष एवं महिला बंदियों के समुचित उपचार तथा टेस्टिंग की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2019-20) की दिनांक 14.12.2020 को सम्पन्न बैठक में समिति की मा0 सदस्या डा0 मंजू शिवाच द्वारा परामर्श दिया गया कि "जेलों में जो महिलाऐं हैं उनका अगर एक रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाये तो उनके जो थर्ड स्टेज के कैंसर में वह लैंड अप करती हैं वह कम हो जायेंगे। अगर उसको 5 साल की सजा है तो सजा पूरी करने के बाद तो उसको अपनी फैमिली में जाना है और वह थर्ड स्टेज के कैंसर में अपनी फैमिली में जायेगी तो वह परिवार उसको एफोर्ड नहीं कर पायेगा। होता क्या है, आप गवर्नमेण्ट हास्पिटल में भेजते हैं तो वहॉ कभी-कभी डिले हो जाता है। किसी एन0जी0ओ0 के माध्यम से जो प्राइवेट डाक्टर सोशल वर्क करते हैं उनका अगर साल में कैम्प लगा दें तो सफीसिएंट होगा। सिम्पल एल्ट्रासाउण्ड वैपिसमियर और एक दो पी0सी0पी0 हो जाय तो वह काम्प्लीकेशन्स से बच जायेंगी।"

2- उपरोक्त महत्वपूर्ण परामर्श पर अपर मुख्य सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन "महिलाओं के लिये जो भी टेस्ट कराना होगा या उनकी जो भी स्क्रीनिंग करानी होगी, कैंसर के लिये हम उसकी व्यवस्था करवा देंगे," के कम में कारागारों में कैंसर रोगी पुरूष एवं महिला बंदियों के समुचित चिकित्सा उपचार तथा टेस्टिंग के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः-

1- कारागारों में निरूद्ध पुरूष एवं महिला बंदियों का रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जायेगा ताकि उनमें यदि कैंसर रोगग्रस्तता की संभावना होगी तो प्रारम्भ में ही जानकारी होने पर इसका समुचित उपचार हो सके।

2- महिला रोगी बंदियों को चिकित्सा परीक्षण हेतु सरकारी अस्पतालों में ले जाने में विलम्ब नहीं किया जायेगा ताकि रोग के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण समय से हो जाये तथा उनका उपचार हो सके।

3- प्रत्येक जनपद में प्राइवेट डाक्टर सोशल वर्क करते हैं, आप द्वारा ऐसे चिकित्सकों अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चिकित्सा शिविर आयोजित किये जाते हैं विशेष रूप से उक्त प्रयोजन हेतु नियमित रूप से चिकित्सा शिविर लगा कर परामर्शानुसार उन्हें काम्प्लीकेशन्स से बचाने हेतु सिम्पल एल्ट्रा साउण्ड वैपिसमियर और एक दो पी0सी0पी0 करायी जाये।

4- उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की नियमित रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित की जाये।

6/7/21

( आनन्द कुमार )
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र पृ0संख्या- 14 सामा-1(2)/2021 दिनांक • 6/26 जुलाई 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1- विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3/5, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

6/7/21

( वी0पी0 त्रिपाठी )
उप महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।